तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 728/2018 अनवान चम्पालाल बनाम निम्बाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
30.1.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 की और से प्रस्तुत ओवदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 25.01.2019 पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यदि प्रार्थी का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। प्रार्थी को भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा लाया गया आवेदन पत्र तथ्यों पर आधारित नही होने से खारिज योग्य है। उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की है। राजस्व अभिलेख में उसका विभाजन भी अंकित नही है। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाता है तो अनुचित है। राजस्व प्रकरणों की बहुलता को रोकने हेतु प्रार्थी को भी पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा उतरलाई पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 316/10 रकबा 04.11 बीघा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, दोनों ही पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रखें। प्रकरण के निस्तारण हेतु मौके की रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बाडमेर को उक्त भूमि की मौके की रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौके का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 06.03.2019 को पेश हो। रिपोर्ट तलब 224 4/7/19

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

13/02/19 (13/02/19) वकील प्रार्थी के आवेदन पर यह पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उप. प्रार्थी मय वकील उपस्थित होकर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा पक्षकारान के मध्य समझाईश कर आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब कोई विवाद नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जावे तथा किया जावे। प21417/17

प्रकट तथ्यों एवम् पत्रावली के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण खारिज राजीनामा किया जाना चाहिए।

अतः आवेदन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रकरण अंतारम्भ निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

पत्रावली बुमराह फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner